



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032025-261472
CG-DL-E-05032025-261472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2025/फाल्गुन 14, 1946

No. 1077]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2025/PHALGUNA 14, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2025

सं. 60/2024-25

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के एचएस कोड 7110 के अंतर्गत कवर किए गए प्लेटिनम की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 1085(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधन करती है:

2. निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोड की आयात नीति और नीतिगत शर्त में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	संशोधित आयात नीतिगत शर्त
7110	प्लैटिनम, कच्चा या अर्धनिर्मित रूप में, या पाउडर के रूप में।			
711011	- प्लैटिनम : -- कच्चा या पाउडर के रूप में			
71101110	-- कच्चा रूप	मुक्त	प्रतिबंधित	तथापि, 99 प्रतिशत या उससे अधिक शुद्धता वाले प्लैटिनम एलॉय के भार के अनुसार आयात मुक्त है।
71101120	-- पाउडर रूप में	मुक्त	प्रतिबंधित	
71101900	-- प्लैटिनम : -- अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	

अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी (एचएस) 71101110, 71101120 और 71101900 के अंतर्गत कवर किए गए प्लैटिनम की आयात नीति को प्लैटिनम एलॉय के भार के अनुसार 99% या उससे अधिक शुद्धता वाले प्लैटिनम एलॉय धातु को छोड़कर 'मुक्त' से संशोधित करके 'प्रतिबंधित' किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/93/एम-24/पीसी-2(ए)/ई-42179]

संतोष कुमार सांरंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2025

No. 60 /2024-25

Subject: Amendment in Import Policy and Policy Condition of Platinum covered under HS Code 7110 of Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy).

S.O. 1085(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy(FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments under Chapter 71 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), as under:

2. The Import Policy and Policy Condition of the following ITC (HS) Codes is amended as under:

ITC(HS) Code	Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Revised Import Policy Condition
7110	Platinum, Unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.			
711011	- Platinum : -- Unwrought or in powder form			
71101110	-- Unwrought form	Free	Restricted	However, import of platinum alloy of 99 percent or more purity by weight of Platinum is free.
71101120	-- In powder form	Free	Restricted	
71101900	-- Platinum : -- Other	Free	Restricted	

Effect of the Notification:

Import Policy of Platinum covered under ITC (HS) 71101110, 71101120 and 71101900 is revised from "Free" to "Restricted" except for platinum alloy of 99% or more purity by weight of Platinum.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/93/AM-24/PC-2(A) /E-42179]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.